भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3118
07अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने संबंधी योजनाएं

†3118. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत योजनाएं राज्य या क्षेत्र-विशिष्ट हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल कितना अनुदान संवितरित किया गया है;

(घ) उक्त योजनओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र संगठनों की श्रेणियां कौन-कौन सी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अनुदानों का समान वितरण सुनिश्चित करने और ग्रामीण उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए, दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी कार्यान्वित की जा रही है ।

ये योजनाएँ क्षेत्र-विशिष्ट या राज्य-विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि माँग-आधारित हैं और पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा पूरे देश में लागू की जाती हैं। वर्ष 2022-23 से इन योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई कुल धनराशि इस प्रकार है-

(करोड़ रुपये में)

योजना	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**
	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
पीएमकेएसवाई	561.92	666.20	540.12
पीएलआईएसएफपीआई	489.83	590.50	450.49
पीएमएफएमई	269	765	1017

(घ): परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए) / कार्यान्वयन एजेंसियां / संगठन जैसे सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / संयुक्त उद्यम / गैर सरकारी संगठन / सहकारी समितियां / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) / निजी क्षेत्र की कंपनियां / साझेदारी फर्म / स्वामित्व वाली फर्म / व्यक्ति आदि एमओएफपीआई की योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाएँ माँग-आधारित हैं, लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत अधिकांश परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे स्थानीय किसानों को सहायता मिलती है। ग्रामीण उद्यमियों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जागरूकता अभियानों जैसे समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियाँ और एक्सपो, मिलेट मेले, क्रेता-विक्रेता बैठकें, जिला और प्रखंड स्तरीय कार्यशालाओं आदि के माध्यम से योजना जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य आम जनता में जागरूकता बढ़ाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

*****